



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)  
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर  
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)  
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1324

दिनांक 31/5/2021

**आदेश**

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्ब्लॉएमेंट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत अस्थि रोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची एतद् द्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित होता है तो, इसके जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित द्वारा प्रधानाचार्य इस कार्यालय को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

**PROFESSOR**

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Om Prakash Shah	General	07.06.1955

**ASSOCIATE PROFESSOR**

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Vijay Kumar	General	28.06.1983

**ASSISTANT PROFESSOR**

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Yogesh Kumar Agrawal	General	05.03.1976
2.	Dr. Pradeep Kumar Sharma	General	24.02.1983
3.	Dr. Gaurav Deshwar (लम्बे समय से अनुपस्थित)	General	03.08.1986
4.	Dr. Rajendra Didel	OBC	13.08.1988
5.	Dr. Sunil Kumar Dhaka	General	20.12.1982

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

दिनांक 31/5/2021

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1324

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर